(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 126/2016

बउनवान

गोपाल उम्र 61 वर्ष पुत्र हजारीलाल जाति कोली निवासी हाट चौक गणेश जी का रास्ता गडरिया मोहल्ला अटरू जिला बारॉ।

(अपीलांट)

बनाम

1– राधाकिशन पुत्र पन्नालाल जाति कुम्हार निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारॉ
2– जगमोहन पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारॉ
3– कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारॉ
4– कान्ता पुत्र बालकिशन जाति कुम्हार निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 में पारित आदेश दिनांक 6.11.2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 25.09.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज.टी.एक्ट बउनवान गोपाल बनाम राधाकिशन मे पारित आदेश दिनांक 6.11.2015 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 3.3.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 4 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे लिमिटेशन के बिन्दु पर उभयपक्ष की सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, ही प्रकरण मे विस्तृत बहस उभयपक्ष के अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, रिकार्ड एवं तथ्यों से असंगत एवं विधि एवं संचिका के सर्वमान्य सिद्वान्तो एवं नियमों व प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट प्रार्थी के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 1469 रकबा 0.09 हेक्टयर को आबादी भूमि मानकर सम्पूर्ण आराजी पर मकानात बने हुए होना मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांट अनुसूचित जाति का सदस्य है और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 4 स्वर्ण जाति के है। अपीलांट की आराजी पर धारा 42 राज0टी0एक्ट के प्रावधान लागू होते है। अनुसूचित जाति के खातेदार कृषक की आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को अन्तरण एवं हस्तान्तरण पर पाबन्दी है।

यह कि अपीलांट के अभिभाषक द्वारा 183 बी राज0टी0एक्ट के प्रार्थना पत्र पर लंबित कार्यवाही को नोट प्रेस करने के आधार पर एवं भूमि शामलाती खाते दर्ज होने से हिस्से की पैमाइश नियमानुसार नही होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे विधिक भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करने पर अपीलांट/प्रार्थी को पुनः तलब करने के उपरांत ही उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित करना था ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को रेस्पोडेन्ट क्रम 4 को विवादित आराजी पर नींव खोदने से मना करने पर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा यह कहने पर कि केस खारिज हो गया है। अपीलांट को जानकारी दिनांक 3.1.2016 को हुई तब अपीलांट ने दिनांक 4.1.2016 को निर्णय की प्रतिलिपी हेतु आवेदन किया। जिसकी प्रतिलिपी दिनांक 29.1.2016 को प्राप्त होने पर निर्णय दिनांक 6.11.2015 से 29.1.2016 तक की समयावधि कन्डोन किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 6.11.2015 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 मे अन्तर्गत धारा 183 बी राज0टी0एक्ट बउनवान गोपाल बनाम राधाकिशन मे पारित निर्णय दिनांक 6.11.2015 विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुरूप सही निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 मे अन्तर्गत धारा 183 बी राज0टी0एक्ट के तहत बउनवान गोपाल बनाम राधाकिशन मे पारित आदेश दिनांक 6.11.2015 एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि :–

1. धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया खसरा नम्बर 1469 रकबा 0.09 हेक्टयर किस्म बारानी संयुक्त काश्तकारो की खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।
3. पृथक से सहखातेदारान/सहकाश्तकारान खाता विभाजन सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय (सहमति से–तहसीलदार एवं विभाजन की उदघोषणा हेतु अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. न्यायालय सहायक कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी) से कराने हेतु स्वतंत्र है।
4. बिना खाता विभाजन समस्त सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। अतः बेदखल किया जाना विधि द्वारा पोषणीय नही है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 3/2015 मे अन्तर्गत धारा 183 बी राज0टी0एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 6.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 14:25:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: